मबजपवद 185 डअं Order or proceeding with signature of Presiding Officer Signature of Date of parties or Order or Pleader where Proceeding राज्य द्वारा ए.डी.पी.ओ। आरोपी स्वय उपस्थित । प्रकरण का विचारण धारा 262 द०प्र०सं के अधीन किया जा रहा है। अभियोगपत्र व संलग्न दस्तावेजो के आधार पर आरोपी द्वारा धारा 485-अधिनियम का अपराध प्रथमदृष्टाया किया जाना प्रकट होता है। अतः उक्त धारा के अधीन अपराध की विशिष्टिया आरोपी को पढकर सनाई व समझायी गयी। आरोपी ने स्वेच्छया से दोषसिद्ध का अभिवाकृ किया। आरोपी का अभिवाक् अकित किया गया। आरोपी ने अभियोगपत्र के साथ संलग्न दस्तवेजी की सत्यता अतः अभियुक्त को दोषसिद्धिक अभिवाक् के परिणामस्वरूप निर्णय परित कर धारा 185 मोटर्यान अधिनियम के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाकर दण्डादेश परित कर दो हजार रूपय के अर्थदण्ड व न्यायालय उठने तक के कारावास से दण्डित किया गया। अभियुक्त द्वारा संदाय की गयी अर्थदण्ड की राशि दो हजार रूपये(१००५)-रे रसीद बुक कमांक 6003 की रसीद नं 9 ए पर जमा की गयी। अभियुक्त को अभिरक्षा से स्वतंत्र किया गया । प्रकरण का परिणाम दर्ज करने हेतु सूचना केन्द्रीय पंजीयक लिपिक जावे । जुट्यू रूप कि अमिलेख व्यवस्थित कर अमिलेखागार मेजा जावे ।

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला मिण्ड सप्र. प्रदेश प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला—मिण्ड (म.प्र.)

SUMMARU TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998 IN THE COURT OF A.K. Gupta, JMFC Gohad Dist Bhind (M.P.)

| Case Now M128/2017 | Complaint or report madeon |
|---|--|
| Name and address of the Complainant | caste and address of accused |
| 353 yar Rearrie | Hart Boot Olet |
| | of, and date of, its alleged commission |
| प्रानी शराब की देखा की पुन्त त | है कि दिनांक 5-4-17 मुकाम बुस्स् के पर बिना वैध अनुज्ञप्ति के अपने बुस्स के अपने अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के अधीन दण्डनीय |
| | पराध स्वीकार है या प्रतिरक्षा चाहते हो। |
| मिताय जाले पर रिस्ट्रिक्ट का प्राप्ता | अभविक । व क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट हस्ता. |
| The plea of the acc | cused and his examination (if any) |
| अपराध स्वीकार है। स्यून दण्ड से दण्डित कर | ो का निवेदन है। |
| day sing dens from | पुजाप पुजाप हस्ता. |
| कि में मानाव अपील जामालय के अपीक | Constitution of the consti |

(आज दिनांक 97-1) को घोषित)

01. अभियुक्त के विरूद्ध आबकारी अधि० 1915 की धारा 34–1 (क) के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है। संक्षिप्त विचारणीय होने से समरी सीट पर अपराध विवरण पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर अभियुक्त ने स्वेच्छापूर्वक जुर्म/अपराध स्वीकार करना व्यक्त किया।

02. संक्षिप्त विचारण किया गया। अत अभियुक्त की स्वेच्छापूर्वक स्वीकारोक्ति के आधार पर आबकारी अधि० 1915 की धारा 34 1 (क) के तहत आरोपी को दोषी ठहराया जाता है। उसकी पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में अभिलेख पर कोई तथ्य मौजूद नहीं हैं।

03 अभियुक्त को आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के तहत न्यायाल उउने तक की अवधि तक की सजा एवं रूपये २००० शब्दों में निहलाई में है। रूपये के अर्थदण्ड से दिण्डत किया जाता है। अर्थदण्ड में पटाये जाने पर 15 दिवस का साधारण कारावास की सजा भुगतायी जावे।

04 जप्तशुदा सम्पत्ति 35 विचा क्रिश्चित्व शराब शराब मूल्यहीन एवं मानव उपयोग हेतु हानिकारक होने के कारण अपील अवधि पश्चात् नियमानुसार शानित की जावे। अपील अपील अपील न्यायालय के आदेश का

[10/ally